

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या
15/102/19

प्रवेश तिथि
15-10-2019

निर्णय दिनांक
13-01-2020

1-पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा स्टेशन रोड, अलवर।

प्रार्थी

—::बनाम ::—

1-श्री सिद्धार्थ थापर पुत्र प्रितपाल कुमार थापर।

2-श्रीमती शिखा थापर पत्नी श्री सिद्धार्थ थापर, पता-6 6 ब्लॉक नं0 15 सुभाष नगर नई दिल्ली।

3-श्रीमती उषा शर्मा पत्नी श्री राकेश कुमार पता-329 विस्तार क्षेत्र स्कीम नं0 1 अलवर राज0
अप्रार्थी/अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिव्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिव्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसमें निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को ऋण सुविधा प्रदान की थी। प्लॉट नं0 ए-60 (तीसरी मंजिल) अम्बेडकर नगर अलवर (राजस्थान) में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 1118.75 वर्गमीटर (124.30 वर्गगज छत का अधिकार नहीं) है जो कि श्री प्रितपाल कुमार थापर के नाम से है। चतुर्थ समीएं - उत्तर सरकारी सडक 25 फीट चौडी, दक्षिण- यूआईटी प्लॉट्स, पूर्व- प्लॉट नं0 ए-59, पश्चिम- प्लॉट नं0 61 को रहन रखा गया था। अप्रार्थीगण द्वारा तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नही किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थी ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नोन परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति, का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है। प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई रथगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिए जाते हैं :-

1-रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावे।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)


2.—आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्क्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्क्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहने रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हों। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 13-01-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले

न्यायालय में सुनाया गया।




(इन्द्रजीत सिंह)
जिला न्यायालय अलवर
अलवर (राज०)